

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एव राजस्थापन सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैंड	ग्रेड पे / मैट्रिक्स लेवल
1	पूर्णाशम प्रधानाचार्य, तंवरा-लाडनू-नागौर	04-07-67	01-07-89 Sr.T.	30-06-19 30 Y	01-07-2019 III	---	L--17
2	सहीराम चौधरी प्रधानाचार्य राजपुरा पिपराली (सीकर)	03-07-63	24-09-89 Sr.T.	24-09-19 30 Y	24-09-2019 III	---	L--17
3	मोहम्मद अजीज प्रधानाचार्य, तेलीवाड़ा, बीकानेर	17-11-71	29-11-96 Lect	29-11-16 20 Y	06-10-2019 II पदी. परित्याग	---	L--17
4	मधु सांभरिया मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माण्डल (भीलवाड़ा)	23-08-64	28-02-97 HM	27-02-17 20 Y	28-02-17 II	15600-39100	6800
5	उमा शंकर त्रिवेदी प्रधानाध्यापक मालीखेड़ा माण्डल (भीलवाड़ा)	16-04-67	25-11-89 Sr.T.	24-11-19 30 Y	25-11-19 III	---	L--15
6	रविकान्त दाधीच ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माण्डल (भीलवाड़ा)	18-05-61	05-12-87 Lect	04-12-17 30 Y	05-12-17 III	---	L--17
7	परमानन्द शर्मा प्रधानाध्यापक, पदमपुरा (झुंझुनू)	05-10-67	31-03-99 HM	30-03-19 20 Y	31-03-2019 II	---	L--16
8	रमेश कुमार रोलन प्रधानाचार्य, आ. परसरामपुरा(झुंझुनू)	04-06-64	15-11-94 Lect	14-11-14 20 Y	15-11-2014 II	15600-39100	6800
9	मंजू सैनी, प्रधानाचार्य, बा. खेतड़ी (झुंझुनू)	06-08-67	05-08-95 Lect	04-08-15 20 Y	05-08-2015 II	15600-39100	6800

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुरतिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।


(सौरभ स्वामी)

अधीक्षक
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/वो-2/2017-20

दिनांक 05.03.2020

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-1/II/III) वेतनमान (9300-34800/15600-39100) में निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे-लेवल
1	मंगाराम, राउमावि, बावडीकला - चौहटन जिला बाडमेर	प्रधानाचार्य	02-01-1966	02-10-1989	30 YEAR 01-10-2019	02-10-2019	L-17
2	चेतराराम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनाऊ (बाडमेर)	प्रधानाचार्य समकक्ष	15-05-1963	05-11-1996	20 YEAR 04-11-2016	05-11-2016	6800/-
3	कमल किशोर शर्मा, राउमावि, बायतरा-सायला (जालोर)	प्रधानाचार्य	20-03-1960	23-01-1990	30 YEAR 22-01-2020	23-01-2020	L-17
4	सुरेश चन्द शर्मा, राउमावि, भाण्डा-बांदीकुई जिला दौसा	प्रधानाचार्य	04-09-1962	17-09-1986	30 YEAR 16-09-2016	17-09-2016	6800/-
5	नीता भदौरिया, राउमावि, रामपुर-बानसुर जिला अलवर	प्रधानाचार्य	30-08-1960	29-12-1989	30 YEAR 28-12-2019	29-12-2019	L-17

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।
- 2 जिन कर्मिकों ने पदोन्नति का परित्याग किया है उन्हें उतनी अवधि विलम्ब से एसीपी स्वीकृत किया गया है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय/जोध/पाली/2019/73
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 05-03-2020

- 1- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 3- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- 4- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5- संबंधित अधिकारी/संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
- 6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर